निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1939 (श0)
(सं0 पटना 551) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
29 जून 2017
अधिसूचना संख्या 8/2017-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 79, दिनांक 29 जून 2017––बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, ऐसे आपूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों की, राज्यान्तर्गत आपूर्ति को उक्त बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, **2017** की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं:

परंतु उक्त छूट वहां लागू नहीं होगी, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे किसी या सभी आपूर्तिकर्ता, जो रजिस्ट्रीकृत हैं या नहीं हैं, से माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का समग्र मूल्य, एक दिन में पांच हजार रुपए से अधिक है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-8)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ०, 80 एस0 ओ0 79, दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-8)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 29th June 2017

Notification No. 8/2017-State Tax (Rate)

S.O. 79 dated the 29th June 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods or services or both received by a registered person from any supplier, who is not registered, from the whole of the State tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017):

Provided that the said exemption shall not be applicable where the aggregate value of such supplies of goods or service or both received by a registered person from any or all the suppliers, who is or are not registered, exceeds five thousand rupees in a day.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-13/2017-8)]

By the order of Governor of Bihar,
Sujata Chaturvedi,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 551–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in